भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4425
दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय महिला कोष

4425. श्री धनुष एम॰ कुमारः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की स्थापना की है;
(ख) यदि हां, तो आरएमके का ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना करने के उद्देश्य क्या हैं;
(ग) क्या आरएमके ने जरूरतमंद महिलाओं/ महिला उद्यमियों को ऋण देना सुकर बनाने के लिए अपने ऋण संबंधी दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है और यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और
(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए महिला उद्यमियों में जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : जी हां,

(ख) : राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना के विस्तृत उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

I. महिलाओं के विकास के लिए वित्तीय और सामाजिक विकास सेवाओं के पैकेज के प्रावधान के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास को प्रोत्साहित करने या सामाजिक आर्थिक, परिवर्तन और विकास के उपकरण के रूप में ऋण प्रदान करने के लिए शामिल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना या शुरू करना ।
II. महिलाओं को ऋण प्रदान करने हेतु सुविधाओं में सुधार लाने के लिए योजनाओं को प्रोत्साहित करना एवं सहायता देना ।
    क. उनके वर्तमान रोजगार को बनाए रखने के लिए।
    ख. अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए
    ग. परिसम्पत्ति सृजन के लिए
    घ. परिसम्पत्ति छोडने के लिए
    ङ. उपभोग संबंधी, सामाजिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ।

(iii) ऋण संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए महिला समूहों के संगठन में भागीदारी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना और दोहराना जिससे वे आत्मनिर्भर बनें ।

(iv) ऋण और अन्य सामाजिक सेवाओं के साथ गरीब महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करते हुए स्वैच्छिक और औपचारिक क्षेत्र में प्रयोगों को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना ।

(v)वर्तमान सरकारी सेवा प्रदायगी तंत्रों को सुग्राही बनाना और परंपरागत संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण ग्राहक वर्ग के रूप में गरीब महिलाओं की व्यवहार्यता को बढाना।

(vi)सफल ऋण विस्तार और प्रबंधन तकनीकों की प्रतिकृति और प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण और इसके प्रबंधन तथा विभिन्न स्तरों पर सफल अनुभवों की अध्येतावृतियों और छात्रवृतियों के प्रावधान सहित अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण और विश्लेषण को प्रोत्साहित करना।

(vii) प्रतिक्रिया प्रबंधन और सामाजिक गतिशीलता में दक्षताओं को आकार देने और इन्हें विकसित करने के लिए महिला संगठनों के संघ तथा नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करना।

(viii)महिलाओं के बीच व्यावसायिक दक्षता को बढाने को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना।

(ix)इस कोष के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, ऋण संस्थाओं, औद्योगिक और व्यावसायिक संगठन तथा गैर-सरकारी, स्वैच्छिक व अन्य संगठनों एवं निकायों के साथ सहयोग करना और उनका सहयोग हासिल करना।

(x)उन शर्तों एवं निबंधनों पर चंदा, अनुदान, योगदान, दान, ऋण, गारंटी, उपहार, हस्तांतरण आदि स्वीकार करना जो कोष के लक्ष्यों एवं उद्दश्यों से असंगत न हों, और

(xi) ऐसे अन्य विधिपूर्ण कार्य और प्रयास करना जो कोष के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अनिवार्य और सहायक हों।

(xii) कोष के लक्ष्यों और उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में धर्म, समुदाय, जाति या वर्ग, संप्रदाय या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

(xiii) कोष की सभी आय, कमाई, चल और अचल संपत्तियों का उपयोग और इस्तेमाल केवल संगत ज्ञापन में निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए उपयोग किया जाएगा एवं इस्तेमाल किया जाएगा, और कोष की आय और सम्पति का कोई भी भाग कोष के वर्तमान या पूर्व सदस्य या वर्तमान या भूतकालीन सदस्यों के किसी एक या अधिक सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यकित को लाभांश, बोनस, लाभ या किसी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। कोष के किसी सदस्य का कोष की चल या अचल सम्पतियों पर कोई दावा नहीं होगा या सदस्य की हैसियत से कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा । कोष के लेखे की लेखा परीक्षा और तुलनपत्र प्रत्येक वर्ष बनाया जाएगा। परंतु, हालांकि इसमें वर्णित कोई भी बात कोष में की गई किसी सेवा या यात्रा भत्ता, विराम भत्ता या अन्य समान शुल्कों के बदले में किसी सदस्य या अन्य सदस्य को, सदभावपूर्वक, मुआवजे का भुगतान करने से निवारित नहीं करेगी।

(ग) जी हां, उपरोक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। में हैं।

(घ) जी हां, राष्ट्रीय महिला कोष ने अपनी वेबसाइट पर सूचना देकर, रूचि रखने वाले भावी लाभार्थियों को वितरण के लिए अपनी योजनओं से संबंधित पैम्फलेट प्रकाशित करके, मेलों और कार्यशालाओं आदि में भाग लेकर उक्त स्कीम के सुगम कार्यान्वयन के लिए महिला व्यावसायियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

*****

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय महिला कोष विषय पर श्री धनुष एम॰ कुमार द्वारा दिनांक 19.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4425 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित विवरण

राष्ट्रीय महिला कोष स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या दर्शाता हुआ आरंभ के समय से 15.07.2019 तक तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थी
1	अंडमान निकोबार	667
2	आंध्र प्रदेश	197839
3	अरुणांचल प्रदेश	100
4	असम	7005
5	बिहार	17369
6	छत्तीसगढ़	370
7	दिल्ली	7742
8	गुजरात	7173
9	हरियाणा	4512
10	हिमाचल प्रदेश	12925
11	जम्मू और कश्मीर	1986
12	झारखंड	2428
13	कर्नाटक	19415
14	केरल	34257
15	मध्य प्रदेश	22716
16	महाराष्ट्र	36135
17	मणिपुर	8421
18	मिजोरम	70
19	नागालैंड	859
20	ओडिशा	39372
21	पुद्दुचेरी	300
22	पंजाब	500
23	राजस्थान	30470
24	तमिलनाडु	170359
25	तेलंगाना	32553
26	उत्तर प्रदेश	26939
27	उत्तराखंड	3148
28	पश्चिम बंगाल	55533
	योग	**741163**